(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7041–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल प्रकरण कमांक 02/सी–132/2011–12.

1– श्रीमती संगीता डंडारे पत्नी मनोहर डंडारे
2– सुमित सातपुते पुत्र महादेव सातपुते
निवासीगण 18–ए हरेकृष्णा होम्स, बंजारी
कोलार रोड, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री बी0एन0 कोचर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा भूमि कय करने हेतु रूपये 1,68,450/– के मुद्रांक पत्र कय किये गये थे, परन्तु भूमि शासकीय होने के कारण विकय पत्र पंजीयन नहीं हो सका है, अतः उक्त मुद्रांक राशि वापिस की जाये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 02/सी–132/2011–12 दर्ज कर दिनांक 30–3–2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा विधिवत स्टाम्प क्रय करने के दिनांक से 6 माह के भीतर मुद्रांक शुल्क वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और पुष्टि में दस्तावेज का प्रमाणीकरण एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसके बावजूद कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(2) आवेदकगण द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 से 59 में दी गई विधि एवं प्रकिया का पूर्णतः पालन किया गया था, इसके बावजूद भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा केवल इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है कि उप पंजीयक द्वारा पंजीयन से इन्कार किये जाने सम्बन्धी टीप अंकित नहीं की गई है । इस आधार पर लेख किया गया है कि टीप अंकित नहीं करने में आवेदकगण की कोई त्रुटि नहीं है, इसके लिए उप पंजीयक जिम्मदार है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र को देखने से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र मुद्रांक पेपर पर टाईप होकर क्रेता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर हो चुके हैं और उक्त विक्रय पत्रों पर कहीं भी यह टीप अंकित नहीं है कि उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीयन करने से इन्कार किया गया । इस प्रकार अधिनियम की धारा 51 लगायत 59 तक सम्बन्धित सभी कार्य पूर्ण की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में स्टाम्प रिफण्ड नहीं करने सम्बन्धी आदेश पारित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर